समादेश याचिका संख्या–12687/2010, देवेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 10.07.2018 के आलोक में सकारण आदेश।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–12687/2010, देवेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 10.07.2018 के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार, पटना को समादेश याचिका के आवेदकगण के दावे के संबंध में सकारण आदेश पारित करने का निदेश है। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निदेश है–

"In view of the aforesaid, the present case is remanded to the respondent no-2 to take a final decision in the matter within a period of eight weeks from today by passing a reasoned and speaking order, keeping in mind the aforesaid issues raised by the learned counsel for the petitioner."

उक्त के आलोक में समादेश याचिका के आवेदकगण द्वारा न्यायदेश के आलोक में अपना अभ्यावेदन दिनांक 26.07.2018 को विभाग में उपलब्ध कराया गया है, साथ ही अन्य व्यक्तियों द्वारा अलग अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए पुनः नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक संख्या–933(11), दिनांक– 13.09.2018 द्वारा सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर एवं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से सेवा से संबंधित सभी अभिलेख एवं प्रतिवेदन 24 घंटे में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी, कुष्ठ, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 161, दिनांक 19.09.18 द्वारा वांछित प्रतिवेदन निदेशक प्रमुख, स्वा0 सेवायें, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया।

स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक संख्या–934(11), दिनांक–13.09.2016 द्वारा समादेश याचिका संख्या–12687/2010 के आवेदकगण को अपने दावे से संबंधित सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष दिनांक 17.09.2018 तक सुनिश्चित रूप से रखे जाने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक मे आवेदकगण द्वारा अपने अपने दावे सें संबंधित साक्ष्य निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना के समक्ष अलग अलग प्रस्तुत किया गया।

संचिका पर उपलब्ध अभिलेख, आवेदकगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना के आत्मभारित टिप्पणी के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं–

1026(11)
11.10.18

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 284(11), दिनांक 30.12.1986 द्वारा डा0 राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालिन एस0एल0इ0ओ0, बिहार, पटना .को कुष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम के वर्ग 3 एवं 4 के कर्मियों की नियुक्ति के लिए निदेशक प्रमुख, स्वा0 सेवायें, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, परन्तु उनके द्वारा नियम एवं निर्देश का घोर उल्लघन करते हुए कुष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ग 3 एवं 4 के पद पर अनेकों अवैध नियुक्तियां की गई, आवेदकगण की नियुक्ति भी उसी प्रकिया के तहतं अवैध तरीके से उपरोक्त पदाधिकारी द्वारा बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए की गई थी।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा डा0 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गयी समस्त नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जाँच की गयी एवं जाँचोपरान्त यह पाया गया कि डा0 राजेन्द्र द्वारा कोई नियुक्ति की विहित प्रक्रिया नहीं अपनाते हुए समस्त नियुक्ति की गई, फलस्वरूप उनके द्वारा की गयी समस्त नियुक्तियों को अवैध पाते हुए न्यायहित में विभागीय पत्रांक–84(11), दिनांक–08.03.1999, द्वारा रद्द कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनेकों याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–07.08.1999 को पारित आदेश के द्वारा दिनांक–08.03.1999 में सरकार द्वारा पारित आदेश को स्थगित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध सरकार द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1067/1999 दायर किया गया, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CBI से जाँच कराने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में CBI द्वारा अनुसंधान के पश्चात् प्रथम दृष्ट्या उच्च पदस्थ पदाधिकारियों की संलिप्तता पायी गयी जिसके विरूद्ध अभियोजन चलाया गया।

उक्त सेवा समाप्ति के विभागीय आदेश की वैधता को विभिन्न वादों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई परन्तु उक्त आदेश की वैधता को अंततः बरकरार रखा गया। उक्त नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता की जाँच सी0बी0आई0 द्वारा भी करायी गयी जिसके द्वारा सभी नियुक्ति को गलत पाते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया। सी0बी0आई0 की जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकण को पुनः नियुक्त करने का कोई आधार नही बनता है।

श्री संजीव कुमार, अचिकित्सा सहायक, खगडिया की पुनः नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा उमा देवी के वाद में पारित न्याय निर्णय के आलोक में सिविल सर्जन, खगडिया द्वारा की गयी। उक्त नियुक्ति की वैधता की जांच स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करायी गयी एवं इस संबंध में विधि विभाग, बिहार सरकार को विधिक राय हेतु संबंधित संचिका पृष्ठांकित की गयी। विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का विधिक राय

विधि विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में सिविल सर्जन, खगड़िया के पत्रांक–988, दिनांक–29.05.2009 के द्वारा श्री संजीव कुमार, अचिकित्सा सहायक के की गई नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–936(11), दिनांक–28.05.2018 दिया गया। इस संबंध में आवेदकगण द्वारा उमा देवी के न्यायनिर्णय के आलोक में सक्षम प्राधिकार से समक्ष कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस संबंध में आवेदकगण के पक्ष में सक्षमं प्राधिकार द्वारा कोई निर्णय अभी तक हुआ है। अतः आवेदकगण का मामला संजीव कुमार के समकक्ष नही माना जा सकता और इस आधार पर उन्हें पुनः नियुक्त नही किया जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के पुनः– नियुक्ति के दावे को नियमसंगत नहीं पाया गया। तदनुसार उनके दावे को अस्वीकृत करते हुए उनके अभ्यावेदन का निस्तार किया जाता है।

ह0/-

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11 / एल0(स्था0)–02 / 2018–1026(11)स्वा० पटना, दिनांक– 11 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–श्री देवेश कुमार, S/o श्री जहानवे शेखर, ग्राम–रीगा, पो0+था0–रीगा, जिला–सीतामढ़ी / श्री हाकीम प्रसाद, S/o श्री जनक प्रसाद, ग्राम–लक्ष्मण टोला, पो0–डक्कन बाजार, जिला–पूर्वी चम्पारण / श्री विपीन कुमार सिन्हा, S/o श्री देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा, ग्रा0+पो0–रानी, था0–बछवाड़ा, जिला–बेगूसराय / श्री रविकेश कुमार, S/o श्री शिव नन्दन प्रसाद सिंह, ग्राम–छोटकी मसौढ़ी, जिला–पटना / श्री पुष्पेन्द्र कुमार, S/o श्री राम रघुवीर सिंह, मो0+था0–गरहन, जिला–मुजफ्फरपुर / खुर्शिद आलम, S/o गुलाम मुस्तफा, ग्रा0–लहियारचक, गंदपुरा, पो0–आलमपुर, जिला–पटना / श्री शिव कुमार सिंह, S/o श्री महावीर प्रसाद सिंह, ग्राम–मझगाँव, पो0–मखदुमा, जिला–भागलपुर / कुमारी पुष्पा सिन्हा, D/o श्री विनोद कुमार, ग्रा0–अलाबदीनचक, पो0–पुनपुन, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम पदाधिकारी (कुष्ठ), मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/10/2018
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।